[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
****

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 20th May, 2004

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.60(E) dated the 22nd January, 2003 issued under sub-section(i) of, read with clause (b) of the Explanation to, section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for Construction or expansion and running of Gurukul or Gyan Mandir and Health Care clinic, by Sri Simandhar Swami Aradhana Trust, 5, Mamta Park Society, Behind Navgujarat College, Usmanpura, Ahmedabad-380014, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction or expansion and running of Gurukul or Gyan Mandir and Health Care clinic, which is being carried out by Sri Simandhar Swami Aradhana Trust, 5, Mamta Park Society, Behind Navgujarat College, Usmanpura, Ahmedabad-380014, at the estimated cost of rupees two crores twenty eight lakhs fifty four thousand only, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2004-2005.

[No.149/ -2004/ F.No. NC-395/2003]

20/5

(Sunil Sharma)
Deputy Secretary (National Committee)

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 20.5. 2004

सां0आ0 (अ0) जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 22 जनवरी, 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 60 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री सिमन्धर स्वामी आराधना ट्रस्ट, 5 ममता पार्क सोसायटी, नवगुजरात कॉलेज के पीछे, उस्मानपुरा, अहमदाबाद 380014 द्वारा गुरूकुल अथवा ज्ञान मंदिर और हैल्थ् केयर क्लिनिक के निर्माण अथवा विस्तार तथा उसे चलाने के लिए कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्षो से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते श्री सिमन्धर स्वामी आराधना ट्रस्ट, 5 ममता पार्क सोसायटी, नवगुजरात कॉलेज के पीछे, उस्मानपुरा, अहमदाबाद 380014 द्वारा गुरूकुल अथवा ज्ञान मंदिर और हैल्थ केयर क्लिनिक के निर्माण अथवा विस्तार तथा उसे चलाने की परियोजना या स्कीम को जो केवल दो करोड अठ्ठाइस लाख, चौवन हजार रू0 की अनुमानित लागत पर वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

(फा0 सं0/49/-2004/फा0 सं0 एन0 सी0 395/2003)

सुनील चन्द्र 20/5/04

सुनील शर्मा,
उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)